

# न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/51/2024

रजू दिनांक: 28.03.2024

रजि० न० 2024/84

अपीलार्थी:-

श्रीमती गुड्डीदेवी पत्नी श्री ओमप्रकाश सैनी,  
नि० ग्राम थाना, पो० खोह दरीबा, तहसील  
टहला, जिला अलवर (राज०)

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति० जिला  
कलेक्टर (द्वितीय), अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 29.04.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 31.01.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 13.01.2024 को उपस्थित आवे।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र क्रमांक लो०सू०अधि०/प्रथम अपील/2024/617 दिनांक 22.04.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम सूचना आवेदन दिनांक 31.01.2024 में अंकित शिकायत प्रा०पत्र दिनांक 13.01.2024 के परिप्रेक्ष्य में सूचना नहीं मिलने बाबत अवगत कराया गया है। जिसके क्रम में लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर तहसीलदार टहला से जांच कराई जाकर, सतर्कता अनुभाग, कलेक्टर, अलवर के पत्र सं० सतर्कता/सूकाअ/2023/183 दिनांक 11.03.2024 के माध्यम से प्राप्त कुल 03 पृष्ठीय सूचना/जांच कार्यवाही रिपोर्ट, कार्यालय पत्र सं० लो.सू.अ./RTI/2024/515 दिनांक 03.04.2024 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर सूचना प्रेषित की जा चुकी है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में विनिश्चय किया जा चुका है। अपील अपीलान्त अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकारी अधि० 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को पालनार्थ भिजवाई जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 29.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।



(आशीष/गुप्ता)  
जिला कलेक्टर अलवर  
(राज०)